80

संख्या /IV(1)/01(02)2010

प्रेषक

एम0एच0खान,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
शहरी विकास निदेशालय,
देहरादून।

शहरी विकास अनुभाग–1

देहरादूनः दिनांक 07 मई अप्रैल,2013

विषयः– पालिका केन्द्रीयित सेवा के पेंशनर्स/पारिवारिक पेशनर्स को महँगाई राहत अनुमन्य किये जाने विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–681/श0वि0नि0/केन्द्रीयित सेवा–32/01/2011–12 दिनांक 19जुलाई, 2012 का सदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित सेवा के पेंशनरों को दिनांक 01.01.2011 से महँगाई राहत की दर 51 प्रतिशत, दिनांक 01 जुलाई, 2011 से 58 प्रतिशत, दिनांक 01 जनवरी, 2012 से 65 प्रतिशत तथा दिनांक 01.7.2012 से 72प्रतिशत की दर से स्वीकृत किये जाने का प्रस्ताव शासन को उपलब्ध कराया गया है।

2– वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या–222/XXVII(7)02/2011 दिनांक 30 सितम्बर, 2011 द्वारा राज्य सरकार के सिविल/ पारिवारिक पेंशनरों आदि को महँगाई राहत दिनांक 01 जनवरी, 2011 से 51 प्रतिशत, कार्यालय ज्ञाप संख्या–14/xxvii (07)02/2012 दिनांक 21 जनवरी 2012 द्वारा मंहगाई राहत 58 प्रतिशत, कार्यालय ज्ञाप संख्या–153/xxvii(7)02/2012 दिनांक 13जून, 2012 द्वारा 65 प्रतिशत तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या–305/xxvii(7)02/2012 दिनांक 25अक्टूबर, 2012 द्वारा 72 प्रतिशत कर दिया गया है। वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या–305 दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 के पृष्ठांकन में यह उल्लेख किया गया है कि प्रमुख सचिव, शहरी विकास विभाग/सार्वजनिक उद्यम विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन निकाय/उपक्रम की वित्तीय स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए निकाय/उपक्रम के कार्मिकों को महँगाई राहत अनुमन्य किये जाने के संबंध में स्वंय निर्णय ले सकते हैं तथा इस संबंध में वित्त विभाग की सहमति की आवश्यकता नहीं होगी।

3– अतः वित्त विभाग के उक्त शासनादेशों के अनुक्रम में पालिका केन्दीयत सेवा के पेंशनर/पारिवारिक पेंशनरों को दिनांक 01 जनवरी, 2011 से **51(इक्यावन)प्रतिशत**, 01 जुलाई, 2011 से **58(अठठावन) प्रतिशत** व दिनांक 01 जनवरी, 2012 से **65 (पैंसठ) प्रतिशत** तथा दिनांक 01.7.2012 से **72(बहत्तर) प्रतिशत** की दर से महँगाई राहत स्वीकृत किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

4– उक्तानुसार दरों के संशोधन के फलस्वरूप धनराशि का वहन उत्तराखण्ड पालिका केन्द्रीयित पेंशन निधि से किया जायेगा तथा इस हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की जायेगी।

5– उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप–305/xxvii (7)02/2012 दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 में दिये गये निर्देशों के अनुक्रम में निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(एम0एच0खान)
सचिव।

D.A.GO

संख्या 411 /IV(1)/01(02)2010 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव, मा0शहरी विकास मंत्रीजी, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन
4. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी प्रथम) उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महालेखाकार, ऑडिट, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. आयुक्त गढ़वाल/कुमायूँ मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
7. समस्त जिलाधिकारी।
8. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, 7 उत्तराखण्ड देहरादून
9. वित्त (वे0आ0नि0स0)अनुभाग–7 उत्तराखण्ड देहरादून
10. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(सुभाष चन्द्र)
उप सचिव।